न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/79/2023	2023/364	26–07–2023	31–07–2024

01– श्रीमती कमलादेवी पत्नी श्री डालचन्द उम्र करीबन 41 साल निवासी ग्राम मानू का बास चिकानी सबतहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज०।

–अपीलार्थी

बनाम

01– मूर्ति उर्फ मूर्ति देवी पुत्री किशनलाल पत्नी श्री औमप्रकाश उम्र करीब 57 साल निवासी ग्राम नांगलहीरा हाल निवासी ग्राम बीजवाड तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०।
02– सगरू पुत्र किशनलाल
03– रामकिशोर पुत्र किशनलाल
04– गुलाबसिंह पुत्र किशनलाल
05– धौली पुत्री किशनलाल
06– अमरसिंह पुत्र सगरूराम
07– रामसिंह पुत्र कजोडाराम
08– यशवंत सिंह पुत्र कजोडाराम
09– भगवानदास पुत्र कजोडाराम
10– श्रीमती सुनेरी पत्नी कजोडाराम
11– सोमा पुत्री कजोदाराम
12– सीमा पुत्री कजोड़ाराम
13– किरोडीलाल पुत्र टैणीराम
14– जयसिंह पुत्र सुब्बाराम
15– प्रियंका पुत्री सुब्बाराम
16– मायादेवी पुत्री सुब्बाराम
17– राजकुमारी पुत्री सुब्बाराम
18– सतीश पुत्र सुब्बाराम
19– हरिश पुत्र सुब्बाराम निवासीयान ग्राम नांगलहीरा सबतहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज०।
20– नायब तहसीलदार उप–तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज०।

–प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्ध उप–तहसीलदार बहादरपुर आदेश क्रमांक 303 दिनांक 03.07.2018 वाके ग्राम नांगलहीरा सब–तहसील बहादरपुर जिला अलवर।

उपस्थितः–
01–श्री दलेर सिंह

–वकील अपीलान्टा

–:निर्णयः–

अपीलाण्टा ने यह अपील उप–तहसीलदार बहादरपुर के आदेश क्रमांक 303 दिनांक 03.07.2018 वाके ग्राम नांगलहीरा सब–तहसील बहादरपुर जिला अलवर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्टा ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अपीलाधीन आदेश तहत अदालत उपतहसीलदार बहादुरपुर द्वारा पारित किया है जिससे अपील न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। अपीलाधीन आदेश मातहत

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अदालत द्वारा दिनांक 03–07–2018 को मिन अपीलान्टा के पीछे से बालाबाला पारित किया है जिसकी जानकारी मिन अपीलान्टा को सर्वप्रथम दिनांक 18–01–2021 को हुई, जबकि रेस्पाडेन्ट सं. 01 द्वारा मिन अपीलान्टा के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा की तथा मिन अपीलान्टा द्वारा एतराज किया तो उसने उक्त विभाजन आदेश की जानकारी दी जिस पर मिन अपीलान्टा ने दिनांक 19–01–2021 को उक्त आदेश की नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया जो नकल उसी दिन सांयकाल 19–01–2021 को प्राप्त हुई, जिसके पश्चात मिन अपीलान्टा ने वकील साहब से जानकारी की एवं रूपयों पैसो का इंतजाम किया तथा रूपयों पैसो का इंतजाम होने से यह अपील जानकारी की तारीख दिनांक 19–01–2021 से अंदर मियाद पेश की जा रही है, जिसमें मिन अपीलान्टा की कोई बदनियती नहीं है तथा जो देरी हुई है वह जानकारी के अभाव में हुई है, इसलिए आदेश दिनांक 03–07–2018 से जानकारी की तारीख दिनांक 19–01–2021 तक का समय धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद तसव्वर फरमाया जाना न्याय संगत है, जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। रेस्पाडेन्टान द्वारा 25–06–2016 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 के दौरान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खाता संख्या 152 के आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 26 रकबा 0.17 हैक्टेयर बारानी प्रथम कुल किता 2 रकबा 0.33 हैक्टेयर के 1/12 भाग व आराजी खसरा नम्बर 15 रकबा 0.48 हैक्टेयर बारानी प्रथम के 1/6 भाग को तकसीम कराने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांक 03–07–2018 को स्वीकार कर आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की जा रही है। रेस्पाडेन्ट सं. 01 का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। चूँकि उपरोक्त खाता संख्या 152 के आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 26 रकबा 0.17 हैक्टेयर बारानी प्रथम कुल किता 2 रकबा 0.38 हैक्टेयर में से रेस्पाडेन्ट सं. 01 का 1/12 भाग व आराजी खसरा नम्बर 15 रकबा 0.48 हैक्टैयर बारानी प्रथम में रेस्पाडेन्ट सं. 01 का 1/6 भाग खातेदारी का था, जिसने अपने हिस्से की सालिम आराजी मिन अपीलान्टा को जरिये बयनामा तहरीरी दिनांक 30–05–2018 को तयशुदा प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय कर दी जो बयनामा उप पंजीयक बहादरपुर द्वारा दिनांक 01–06–2018 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 156 के पृष्ठ संख्या 77 क्रम संख्या 201803139100530 पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या–1 जिल्द संख्या 424 के पृष्ठ सं. 256 से 263 पर चस्पा किया गया है। इस प्रकार रेस्पाडेन्ट सं. 01 द्वारा अपने हिस्से की सालिम आराजी तयशुदा प्रतिफल प्राप्त कर विक्रयशुदा आराजी पर मिन अपीलान्टा का कब्जा करा दिया, जिसके बाद से ही मिन अपीलान्टा अपनी खरीदशुदा उपरोक्त आराजी पर बतौर खातेदार काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है, जिस विक्रयशुदा आराजी से बाद बयनामा रेस्पाडेन्ट सं. 01 का कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं रहा है। उपरोक्त आराजी का इंतकाल बय मिन अपीलान्टा के नाम दर्ज व स्वीकार नहीं होने के कारण एवं विक्रयशुदा आराजी के राजस्व रिकार्ड में रेस्पाडेन्ट सं. 01 के नाम का अमल होने का नाजायज फायदा उठाते हुए एवं उक्त बयनामा की भली भांति जानकारी होते हुए भी बदनियतीपूर्वक रेस्पाडेन्टान ने राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 के दौरान दिनांक 25–06–2018 को एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विक्रयशुदा आराजी का विभाजन हेतु प्रार्थना–पत्र पेश कर दिया तथा कैम्प में रेस्पाडेन्ट ने उपस्थित होकर विभाजन की सहमति प्रदान की और अपने अंगूठा निशानी लगा, छांयात्रि लगा दिया, जिसका रेस्पाडेन्ट सं.01 को कोई हक व अधिकार नहीं था। चूँकि बाद विक्रय रेस्पाडेन्ट उक्त आराजी से गैरवास्ता एवं गैरकाबिज सख्श है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की सुनवाई किये बालाबाला रेस्पाडेन्टान का उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आराजी का विभाजन कर दिया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को विभाजन करने का अधिकार नहीं था और ना ही रेस्पाडेन्ट सं. 01 को उक्त प्रार्थना पत्र किसी प्रकार की सहमति देने की अधिकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो विभाजन किया है वह गलत व खिलाफ मौका व खिलाफ कानूनन किया गया है। उक्त विभाजन का अमल राजस्व रिकार्ड में कर दिया गया है जिससे मिन अपीलान्टा के हकूक जायल होने का खतरा है तथा उक्त आदेश की आड में रेस्पाडेन्टान मिन अपीलान्टा अपनी खरीदशुदा आराजी से

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

जबरन बेदखल कर कब्जा करने की कोशिश व जुस्तजू में हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपीलान्टान विवादित आराजी की सद्भावित क्रेता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व मिन अपीलान्टा को कोई सूचना नहीं दी है और ना ही मिन अपीलान्टा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार थी। उक्त आदेश से मिन अपीलान्टा के हकूक प्रभावित होने का अंदेशा है। मिन अपीलान्टा को अपने अधिकारों की रक्षार्थ उक्त आदेश के विरूद्ध अपील पेश किया जाना आवश्यक हो गया है। इसलिए मिन अपीलान्टा को उपरोक्त आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने की इजाजत दिया जाना आवश्यक है। जिसकी इजाजत हेतु प्रथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा०दी० पेश किया जा रहा है। अतः अपील अपीलान्टा पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहादरपुर तहसील व जिला अलवर का आदेश क्रमांक 303 दिनांक 03–07–2018 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलाण्टा की बहस पर चिन्तन–मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश संख्या 303 निर्णय दिनांक 03.07.2018 वाके नांगलहीरा सब–तहसील बहादरपुर जिला अलवर के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 22.02.2021 को पेश की गयी है, जो करीब 02 वर्ष 07 माह पश्चात पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2018 की जानकारी अपीलान्टा को दिनांक 18.01.2021 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलाण्टा अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है उक्त आराजी अपीलान्टा द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा/विक्रय पत्र से खरीद की गई है। उक्त बयनामे के आधार पर आराजी खसरा नंबर 25 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 26 रकबा 0.17 है0 बारानी प्रथम कुल किता 2 रकबा 0.33 है0 में से 1/12 भाग व आराजी ख0नं0 15 रकबा 0.48 है0 बारानी प्रथम में से 1/6 भाग अपीलान्टा द्वारा क्रय किया गया है। उक्त बयनामें का अवलोकन किए बिना ही अधीनस्थ अदालत द्वारा विभाजन की कार्यवाही संपन्न की गई है, जो कि विधिविरुद्ध है। अतः अपील अपीलाण्टा स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टा स्वीकार की जाती है तथा मातहत अदालत द्वारा पारित आदेश क्रमांक 303 दिनांक 03.07.2018 वाके ग्राम नांगरहीरा उप–तहसील बहादरपुर जिला अलवर को निरस्त किया जाता है। प्रकरण उप–तहसीलदार बहादरपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उप–पंजीयक बहादरपुर द्वारा जारी रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 01.06.2018 एवं अन्य दस्तावेजात का भली–भांति अवलोकन कर नियमों के आलोक में विधिवत विस्तृत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को तहत रिकॉर्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)